



सत् त्वं पूषन् अमृतम्  
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग

नई दिल्ली - 110 016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg

New Delhi 110 016

Fax: 26514179/ फोन TEL: 26858570

Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

फा.सं.11051-3/2017-केविसं(मु.)(प्रशा-1)/392

दिनांक : 06.08.2019

### आदेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 26.07.2017 के पत्रांक एफ.3-14/2017-यू टी-2 द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमानों के अंगीकरण के अनुमोदन की जानकारी दी गई थी। 'सहायक संपादक' के पद हेतु वेतनमान को पे मैट्रिक्स में लेवल-6 (क्रमांक -14 पर उल्लिखित) पर रखा गया है जबकि इस पद हेतु सही वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-7 है। इस मामले को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास भेजा गया था।

अब, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सहमति लेने के बाद (यू.ओ.नं 21(4)/ई-III बी/2018 दिनांक 19.06.2019), 'सहायक संपादक' के पद हेतु वेतनमान को 01.01.2006 से पी बी-2 में ग्रेड पे रु. 4,600/- तदनुसार 01.01.2016 से पे मैट्रिक्स लेवल-7 में जो ग्रेड पे रु. 4,600/- के समकक्ष है, में संशोधित करने हेतु कार्यांतर अनुमोदन की जानकारी दी गई है। तदनुसार इसे केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अंगीकार किया गया है।

(डॉ. शची कान्त)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

### वितरण:-

1. अवर सचिव (यू टी-2), आ.स.वि. मंत्रालय को उनके दिनांक 25.06.2019 के पत्रांक एफ.3-46/2017- यू टी - 2 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. आयुक्त, केविसं के ई ए/ पी एस।
3. अपर आयुक्त (प्रशा/शैशिक) के निजी सचिव।
4. संयुक्त आयुक्त (वित्त) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. संयुक्त आयुक्त (प्रशि./शै./प्रशा./कार्मिक) को सूचनार्थ।
6. अधीक्षण अभियंता, केविसं (मु.) को सूचनार्थ।
7. सहायक आयुक्त (स्था - I), केविसं (मु.) को सूचनार्थ।
8. सहायक आयुक्त (स्था - II/III) केविसं (मु.) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. उपायुक्त (ई.डी.पी) को इस अनुरोध के साथ कि इसे केविसं की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
10. महासचिव, केविसं के समस्त मान्यताप्राप्त संघों को सूचनार्थ।